रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 414] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 26, 1981/पौष 5, 1903
No. 414] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 26, 1981/PAUSA 5, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1981

सा. का. नि. 674 (अ) :—केन्द्रीय सरकार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा खाद्य मानक केन्द्रीय समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में कतिपय और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, उपलब्ध करा दी जाती हैं पैंतालिस दिन की अवधि के पश्चात् विचार किया जाएगा।

उपरोक्त ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी ।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1981 है ।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 2 के खण्ड (ङ) के उप-खण्ड (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खण्ड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4) गोला-बारूद कारखाने या उपस्कर कारखाने की दशा में ऐसे कारखाने या उपस्कर कारखाने या दोनों का महाप्रबन्धक" ।

[सं. पी 15014/12/81-पी एच (एफ एण्ड एन)/पी एफ ए]

आर. के. सिंघल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 1981

G.S.R. 674(E).—The following draft of rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 23 of the Prevention of Food adulteration Act, 1954 (37 of 1954), and after consultation with the Central Committee for Food Standards, is hereby published as required by sub-section (1) of section 23 of said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of a period of 45 days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification was published are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the date so specified shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1981.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, in rule 2, in clause (e), after sub-clause (iii), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(iv) in the case of Ordance Factory or Equipment Factory, the General Manager of such Factory or Equipment Factory or both."

[No. P-15014/12/81-PH(F&N)/PFA]

R. K. SINGHAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981